FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/04/2024 19:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/04/2024 **Time (समय):** 19:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/04/2024 19:00 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PS ACB FBD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP ARJUN RATHI

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 30/06/1982 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9991112000

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मुख्य सिपाही रोहताश कुमार नं0 1476 फरीदाबाद			1. क्राईमब्रांचएन0आई0टी0बडखलफरी0,त ैनातक्राईमब्रांचसैक्टर-85फरी0 FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	अन्य कर्मचारी			1. क्राईमब्रांचएन0आई0टी0/बडखलफरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
प्रबन्धक अफसर,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
फरीदाबाद ।

श्रीमान जी,

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 13209/ई-1/रा0चै0ब्यू0(ह0) दिनांक 17.08.2022 अनुसार शिकायतकर्ता श्री राजकरण सिंह चौहान पुत्र श्री जगबीर सिंह चैहान निवासी म0नं0 2026, सैक्टर-3, फरीदाबाद द्वारा दी गई समानान्तर आरोप वाली तीन शिकायतें व इन्ही आरोपों के सम्बन्ध में श्री उमेश बसवाल पुत्र श्री किशन लाल बसवाल निवासी म0नं0 जे-89, तिगडी, दिल्ली द्वारा दी गई एक शिकायत पडताल हेतू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम में प्राप्त हुई, जिनकी जांच श्रीमती पंखुरी, ह0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा अमल में लाई गई, जो शिकायतों में लगाये गये आरोपों में से आरोप नं0 1 व आरोप नं0 3 में सत्यता बारे कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुये । परन्तु आरोप नं0 2 जिसमें शिकायतकर्ता उमेश बसवाल ने आरोप लगाये कि क्राईम बांच बडखल के कर्मचारियों ने पिछले 10 महीनों से उसे परेशान किया हुआ है। क्राईम ब्रांच इन्चार्ज एस0आई0 नरेन्द्र शर्मा, ए0एस0आई0 रोहताश, हेड कांस्टेबल सुमित उर्फ भूरा व अन्य एक दो कर्मचारियों ने डरा धमका कर झूठे केस में फसाने की धमकी देकर उससे लगभग 35 लाख रू उससे ऐंठ लिये है। जबकि ना उसके खिलाफ आज तक कही कोई एफ0आई0आर0 है और ना ही उसे क्राईम ब्रांच की तरफ से कोई नोटिस मिला है ।दिनांक 22.06.2022 को उससे क्राईम ब्रांच का पुलिसकर्मचारी 1,10,000रू ले गया और दिनांक 23.06.2022 को 60,000 रू और मंगवाये थे । जिसकी मोबाईल रिकार्डिंग उसके पास है । क्राईम ब्रांच के लोग मेरी दुकान पर आते है और पैसे लेकर चले जाते है । एक दिन ये उसकी दुकान की डी0वी0आर0 की हार्ड डिस्क भी निकालकर ले गये ।

इस आरोप के सम्बन्ध में पडताल के दौरान शिकायतकर्ता उमेश बसवाल ने दिनांक 22.06.2022 को मुख्य सिपाही रोहताश नं0 1476/फरीदाबाद क्राईम ब्रांच बडखल को 1,10,000रू देने और बकाया बाद में देने के सम्बन्ध में की गई रिकार्डिंग को पैन ड्राईव में डालकर पेश किया तथा इस सम्बन्ध में अपना 65बी प्रमाण पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पेश किया । रिकार्डिंग की विवरणी के अवलोकन पर शिकायतकर्ता उमेश बसवाल मुख्य सिपाही रोहताश को 1,10,000 रू देने की बात कर रहा है और मुख्य सिपाही रोहताश उन्ही रूपयो को 1,00,000रू बताकर आगे देने की बात कर रहा है । इसके अतिरिक्त मुख्य सिपाही रोहताश रिकार्डिंग में हार्डडिस्क से फुटेज डिलीट करने के लिए हार्ड डिस्कका पास वर्ड मांग रहा है और आगे से शिकायतकर्ता को तंग ना करने के लिए किसी को कहने की बात कर रहा है। जांच के दौरान मुख्य सिपाही रोहताश ने अपने कथनों में उपरोक्त रूपयें शिकायतकर्ता से गाडी खरीदने बारे लेन-देन के बतलाये है। लेकिन रिकार्डिंग में गाडी बारे कोई जिक्र नही है। मुख्य सिपाही रोहताश के कथनों व शिकायतकर्ता द्वारा की गई रिकार्डिंग में काफी विरोधाभाष है । ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य सिपाही रोहताश ने शिकायतकर्ता उमेश बसवाल पर दबाव डालकर उससे 1,00,000 रू लिये है और बकाया बाद में मंगवाये है ।मुख्य सिपाही रोहताश द्वारा शिकायतकर्ता उमेश बसवाल से किया गया लेन-देन रिकार्डिंग के आधार पर संदिग्ध प्रतीत होने पर जांच अधिकारी श्रीमती पंखुरी, ह0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मुख्य सिपाही रोहताश कुमार नं0 1476/फरीदाबाद क्राईमब्रांच एन0आई0टी0/बडखल फरीदाबाद हाल तैनात क्राईम ब्रांच सैक्टर-85 फरीदाबाद व अन्य नामालूम कर्मचारी क्राईमब्रांच एन0आई0टी0/बडखलफरीदाबाद के विरूद्ध धारा 7 पी0सी0 एक्ट व धारा 384, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने तथा इसके अतिरिक्त क्राईम ब्रांच एन0आई0टी0/बडखलफरीदाबाद के तत्कालीनकर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता उमेश बसवाल को डरा धमकाकर 35 लाख रू ऐंठने व मुख्य सिपाही रोहताश द्वारा रूपये आगे किसको दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने तथा अन्य किसी अधिकारियों /कर्मचारियों /प्राईवेट व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती उस बारे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव देते हुये रिपोर्ट कार्यालय अतिरिक्त पुलिसमहा निदेशक, हरियाणा पंचकूला भिजवाई गई।

जिस पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 8493/आई-2/भ्र0नि0ब्यू0(ह0) पंचकूलादिनांक 03.04.2024 अनुसार जांच अधिकारी श्रीमती पंखुरी, ह0पु0से0, अतिरिक्तपुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निराधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के सुझाव से सहमत होने बारे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। जो आरोपी मुख्य सिपाही रोहताश कुमार नं0 1476/फरीदाबाद क्राईम ब्रांच एन0आई0टी0/बडखल फरीदाबाद हाल तैनात क्राईमब्रांच सैक्टर-85 फरीदाबाद व अन्य नामालूम कर्मचारी क्राईमब्रांच एन0आई0टी0/ बडखल फरीदाबाद के विरूद्ध धारा 7 पी0सी0 एक्ट व धारा 384, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया जावेत था इसके अतिरिक्त क्राईम ब्रांच एन0आई0टी0/

बडखल फरीदाबाद के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता उमेश बसवाल को डरा धमकाकर 35 लाख रू ऐंठने व मुख्य सिपाही रोहताश द्वारा रूपये आगे किसको दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने तथा अन्य किसी अधिकारियों /कर्मचारियों /प्राईवेट व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती उस बारे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने बारे तहरीर अभियोग दर्ज करने के लिये सिपाही प्रीतम सिंह नं0 2076/फरीदाबाद के माध्यम से थाना में भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे तथा असल तहरीर मय मिशल आगामी अनुसंधान हेतू निरीक्षक श्री भगवान, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद को भिजवाई जावे। सम्बन्धित रिकार्ड साथ सलंग्न है। अज :- PS ACB FBD .Sd. (अर्जुन राठी),ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद समय 6:15 PM । अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 10 दिनांक 26.04.2023 U/S धारा 7 पी0सी0 एक्ट व धारा 384, 120बी भा0द0सं0 PS AC B फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल सि0 प्रतीम न0 2076/फरीदाबाद के की जाकर ईलाका मजिस्ट्रैट वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आईन्दा सि0 के की जाकर निज्द INSP श्री भगवान के हवाले की जायेगी । नोटः- यह मुकदमा INSP बिजेन्द्र सिह की हाजरी में दर्ज किया जा रहा है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Shri Bhagwan **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1120FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14.

Name (नाम): RAKESH Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

No. (सं.): 1

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.